न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–**2833 सन् 2026**

01. अरविन्द कुमार पुत्र कुंवरपाल,

02. कुंवरपाल पुत्र बनबारी सिंह,

03. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कुंवरपाल, निवासीगण ग्राम नगला कर्वी, थाना रामघ ाट, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–29 सन् 2025

अन्तर्गत धाराः–85, 115(2), 352, बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रति0 अधि0,

थानाः–महिला थाना, जिला बुलन्दशहर,

–:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं, आवेदकगण को उक्त केस में झूंठा फसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत नामजद किया है, एफ.आई.आर. घटना के वर्षो बाद देरी से लिखायी गयी है। आवेदकगण ने किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की है और ना ही कोई प्रताडना की है। दोनों पक्षकार साधारण थे, इसलिए शादी साधारण तरीके से हुई थी और उसमें कुछ भी लेन देन नहीं था। वादिनी ने ग्रामीण न्यायालय डिबाई के वाद संख्या 70/2024 लतेश बनाम अरविन्द आदि धारा–12 घरेलू हिंसा में समझौता हो गया, क्योंकि लतेश अलग रहना चाहती थी और उसने अपना समस्त स्त्रीधन व भरण पोषण एकमुश्त 4,25,000/–रूपये नगद न्यायालय में प्राप्त कर लिये और मुकदमा समझौते के आधार पर दिनांक 03.12.2025 को निस्तारित हो गया, और उक्त अपराध संख्या 29/2025 को भी निस्तारित करने की बात थी, किन्तु वादिनी ने पैसे लेकर इस मुकदमे को छुपा लिया और आवेदकगण से कहा कि उक्त मुकदमे को थाने से समाप्त का रही हूँ किन्तु नहीं कराया और मुकदमें में आरोपपत्र न्यायालय में आ गया। इन कथनों के आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

04. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी श्रीमती सुनीता द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस आशय की सूचना दी गई कि दिनांक 19.02.2024 को उसकी शादी सोनू के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार करीब सात लाख रूपये खर्च कर पर्याप्त दान दहेज देकर हुई किन्तु शादी में दिये गये दान दहेज से उसके ससुरालीजन खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते और मांग पूरी न होने पर उसे तरह तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। कुछ समय पश्चात उसके देवर विशन ने पीछे से आकर उसके कन्धे की नस दबा दी तो कभी छाती दबा देता। दिनांक 29.10.2025 को अपने भाई रवि को लेकर ससुराल जाने पर भी उसके ससुरालीजनों ने उसके साथ लात घूसों से मारपीट की और उसके पति सोनू व देवर विशन ने जान से मारने की नीयत से गला दबाया अभियोग पंजीकृत होकर विववेचा प्रचलित की गई।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी द्वारा कथन किया गया है कि विवेचना के दौरान आवेदकगण/अभियुक्तगण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता– 2023 की धारा 35 (3) के नोटिस पर रिहा किया गया है।

06. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचना के दौरान आवेदकगण/अभियुक्तगण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता– 2023 की धारा 35 (3) के नोटिस पर रिहा किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना के दौरान अन्तर्गत धारा 35(3) बी.एन.एस.एस के नोटिस पर विवेचना में सम्मिलित हुए हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण को विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.01 16:03:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया था। प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। सह–अभियुक्तगण सोनू आदि का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 23.04.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है। तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
02. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।
03. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।
04. आवेदकगण/अभियुक्तगण आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेंगे,
05. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
07. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा आवेदकगण आदेश की दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस आदेश के अनुक्रम में जमानतनामे निष्पादित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा पृथक–पृथक रूप से 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
आई0डी0 क्रमांक–यू0पी0–2015

दिनांक : 01.06.2026
शिवम गौड़–पी.ए.